भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

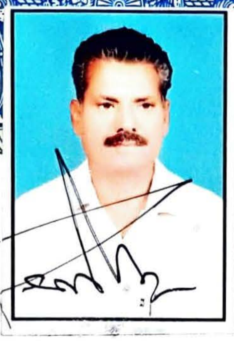

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 429917

ट्रस्ट नामा / ट्रस्ट डीड (Trust Deed)

सी. पी. एस. फाउण्डेशन ट्रस्ट (C.P.S. Foundation Trust)

मैं पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सियाराम सिंह मूल निवासी न0 खेडा उडेसर जिला फिरोजाबाद उ0 प्र0 हाल निवासी 8/78 मौ0 तिवारियान, अवागढ जिला एटा ब्यान करता हूँ कि मेरा पेशा व्यापार है और मैंने अपने जीवन में काफी धोखे खाकर मुसीबतें व कठिनाईयाँ झेली हैं व जीवन में काफी उतार चढाव देखें हैं। परन्तु फिर भी मैंने अपना संतोष पूर्वक जीवन यापन किया है जो कि केवल अपने माता पिता के आशीर्वाद व भगवान की असीम कृपा से ही सम्भव हो सका। अतः मैं अपने माता–पिता व भगवान का जीवन पर्यान्त श्रणी रहूँगा। अब मेरे बच्चे भी बालिग हो गये हैं और अपना भला बुरा समझने में पूर्ण रुप से समर्थ हैं। अतः अब वे अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अब मुझे मेरे समाज व देश के प्रति भी कुछ दायित्वों का अहसास हो रहा है और अब मैं इसी वजह से और अपनी और अपनी अन्तरआत्मा से प्रेरित होकर अपने धर्म समाज व देश सेवा हेतु एक ट्रस्ट का गठन करने की तीव्र इच्छा रखते हुए आज ट्रस्ट के लिए रुपये 21000/– मुबलिग इक्कीस हजार रुपये प्रारम्भिक दान करते हुए नाम से आज दिनॉक 20 अक्टूबर 2015 को इस ट्रस्ट नामा या ट्रस्ट–डीड द्वारा एक ट्रस्ट का गठन व घोषणा करता हूँ जिसका नाम <u>सी. पी. एस. फाउण्डेशन ट्रस्ट</u> होगा और इसका नाम भविष्य में कभी भी बदला न जा सकेगा व इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। चूँकि इस ट्रस्ट का गठन जनसेवार्थ व धर्मार्थ किया जा रहा है अतः इस ट्रस्ट के लाभार्थी बडे पैमाने पर सार्वजनिक , कोई भी आम जरुरतमंद सामाजिक व धार्मिक व्यक्ति होंगें। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति,व्यक्तियों,समूह व स्थान का चुनाव करके ट्रस्ट के उदेश्यों को पूरा करेंगे।

मैं अधोहस्ताक्षरी पुष्पेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट का संस्थापक व आजीवन प्रबन्धक अर्थात मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और रहूँगा तथा अपने अलावा उक्त ट्रस्ट के संचालन हेतु अपनी पत्नी,अपनी पुत्री व अपने दोनों पुत्रों अर्थात कुल चार लोगो को भी आजीवन ट्रस्टी नियुक्त करता हूँ। मेरी पत्नी, पुत्री, व दोनो पुत्रों को अर्थात इन चार व्यक्तियों द्वारा ट्रस्टी बनने हेतु दी गई सहमति के शपथपत्र भी इस ट्रस्ट डीड के साथ संलग्न हैं। इस प्रकार इस ट्रस्ट के निम्न प्रकार कुल 5 संस्थापक ट्रस्टी है जो आजीवन ट्रस्टी रहेंगेः–

1.पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सियाराम सिंह मूल निवासी न0 खेडा, उडेसर जिला फिरोजाबाद उ0प्र0 हाल निवासी 8/78 मौ तिवारियान, अवागढ जिला एटा।

2.मीना देवी पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह निवासी 8/78 मौ तिवारियान, अवागढ जिला एटा।

182
6-10-15

श्री(वा) पुष्पेन्द्र सिंह श्री सियाराम सिंह नि० खेड़ा उर्फ जसराना फिरोजाबाद

ट्रस्ट नामा
मा० 21000

लवकुमार वाण्ज्य स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

फीस 2101/- 20/- 2301/- 800

श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम
निवासी मु० खेड़ा उर्फ जसराना
तहसील जलेसर जिला एटा ने यह लेख पत्र कार्यालय
निबन्धक जलेसर जि० एटा में आज दिनांक 20-10-15
को 3 व 4 बजे दिन के प्रस्तुत किया।

20/10/015

उपनिबन्धक

...ने विषय लेखपत्र को भली प्रकार से सुनकर व
मकन .... जिसमें से ....
पूर्व व .... नकद मेरे सामने प्राप्त
करके श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम नि० म० खेड़ा प्रथम पक्ष व सी० पी० रज फाउण्डेशन ट्रस्ट पदेन पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम नि० उक्त द्वि० पक्ष ने स्वीकार किया।

(1) जिनकी पहचान देवेन्द्र सिंह स्व० ओ० पि०
निवासी जलेसर

(2) व श्री सुबोध कुमार रचे
निवासी जलेसर ने की

20-10-15

20/10/015

प्रत्यक्ष मद साक्षीगणों के अँगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

उपनिबन्धक जलेसर
20/10/015

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 137354

3.अनुराग यादव पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह निवासी 8/78 मौ तिवारियान, अवागढ जिला एटा।
4.लक्ष्मी पुत्री पुष्पेन्द्र सिंह निवासी 8/78 मौ तिवारियान, अवागढ जिला एटा।
5.आयुष आनन्द पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह अवागढ जिला एटा।

सी. पी. एस. फाउण्डेशन ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे:–

1.समाज के जरुरतमंद, कमजोर, उपेक्षित व वृद्ध लोंगो की देख–भाल करना व संस्था के शैक्षणिक व सामाजिक विकास कार्यकमो द्वारा उनका उत्थान व विकास करना।

2.शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान, सभी स्तर व प्रकार के छोटे–बडे विद्यालय , महाविद्यालय, तकनीक विद्यालय, विश्वविद्यालय, डीम्ड विद्यालय आदि किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

3.वृद्धो, असहाय व्यक्तियों, शारीरिक विकलॉगों, अनाथों, असहाय महिलाओं व बच्चों के लिए आश्रय स्थल, स्वच्छ आवास, चिकित्सा केन्द्रों का विकास करना व स्थापना करना।

4.असहाय व जरुरतमंद बच्चों को शैक्षणिक, शारीरिक व आर्थिक विकास द्वारा विकसित करना व उनके स्वस्थ्य संम्बन्धी कार्यक्रम चलाकर अच्छा उन्नत व स्वस्थ जीवन प्रदान करना तथा उन्हें अपने पैरों पर खडे होने में मदद करना।

5.समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आरोग्य ग्रह, सामुदायक विकास केन्द्र, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और बौद्धिक विकास हेतु कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय वाचनालय, का विकास व स्थापना करना व उनका संचालन करना।

6.धर्मशालाओ, विश्रामग्रहों व उपासना ग्रहों का निर्माण और जनहितार्थ उनका संचालन देखभाल तथा रखरखाव करना ।

7.ग्रामोदय, सर्वोदय, सामाजिक शिक्षण व स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें पत्र –पत्रिकाओ आदि का प्रकाशन, वितरण व प्रचार व प्रसार करना।

8.प्रौढ शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा व परिवार कल्याण तथा परिवार नियोजन का प्रचार–प्रसार व कियान्वयन करना। स्वास्थ्य सुधार कार्यकमों के अंतर्गत पोलियो, एचआईबी एड्स, मधुमेह व अन्य संकामक रोगों के उन्मूलन व बचाव के समस्त कार्यकमों का विस्तार व कियान्वयन करना। नेत्र चिकित्सा कैम्पों का आयोजन व मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना।

9.समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना व मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समस्त प्रकार के कार्यकम चलाना। गरीब, कमजोर व असहाय लोगों को उनके अधिकार व न्याय दिलावाना।

01 OCT 2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 137355

उप कोषागार ... कु.चौ. (डी.सी.)

OCT 2019

10.समाज के निर्बल व बेरोजगार लोगों का उत्थान करना व युवा समुदाय को सामाजिक कुरीतियों व शोषण से निकालकर विकास एवं रचनात्मक कार्यक्रमो की ओर प्रोत्साहित करना।

11.शहरी व ग्रामीण अंचलों में गरीब अनपढ व पिछडे व्यक्तियों के पारम्परिक ज्ञान, कुशलता, दस्तकारी व कारीगरी की प्रतिभाओं को उभारना व उनकी प्रतिभाओ दवारा कुटीर उद्योगों का प्रचार –प्रसार करके उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में सहायता करना व उनके लिए रोजगार सृजन कराना।

12.पर्यावरण व प्रदूषण सुधार कार्यक्रमों व प्राकृतिक के उचित प्रयोग हेतु कार्य करना, व उनके दुरुपयोग व अपव्यय रोकने हेतु जन जाग्रति लाना । वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू करना व जंगली जीव जंतुओ की रक्षा व विकास हेतु कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन करना। अपारम्परिक व प्राकृतिक उर्जा स्त्रोत के समस्त कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार करना व कार्यक्रम लागू करके जन–जन तक लाभ पहुँचाना।

13.कृषि एवं भूमि संरक्षण व सुधार कार्यक्रमों का विस्तार व क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतग्रत सभी कार्यक्रम करना । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शाक–सब्जी, पुष्प, फल विज्ञान व संरक्षण के समस्त कार्यक्रमों व उद्योगों का प्रचार–प्रसार करना व उनको क्रियान्वियन करके लोंगों को लाभान्वित करना।

14. पशुपालन , पशुपोषण , मुर्गीपालन, मछलीपालन, मधुमक्खी पालन, डेरी उद्योग व डेरी रसायन के समस्त कार्यक्रमों को ग्रामीण अंचल में जन–जन तक पहुँचाना व उनका क्रियान्वयन करना।

15. संस्था के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु चंदा, दान, अनुदान, ऋण आदि किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना। किसी भी भूमि , भवन, चल अचल सम्पत्ति को क्रय करना, दान में प्राप्त करना, अनुदान में प्राप्त करना , व्यवस्थित रखना , क्रय विक्रय करना, पटटे पर लेना व देना , किराये पर लेना व देना अनुज्ञा दवारा व अन्य साधनों से प्राप्त करना, हस्तान्तरित करना व हस्तान्तरण दवारा प्राप्त करना। संस्था के उध्देश्यों की पूर्ति हेतु भवनों का निर्माण करना , मरम्मत करना , पहले से भवनों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्ध्दन, करना एवं सुसज्जित करना, उनमें बिजली पानी, फर्नीचर ,शौचालय आदि आवश्यक प्रायोगिक सुविधाएं शामिल करना।

16. संस्था के उध्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि , भवन, चल–अचल सम्पत्ति , वाहन आदि को क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तररण करना, विनिमय करना, बैठक रखना, पट्टे पर अथवा किराये पर उठाना या अन्य शाधनों से नियमानुसार करना।

17. संस्था के उध्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था दवारा उद्योग, ग्रामीण उद्योग , व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करना उन्हें सहयोग से चलाना व संचालित करना और उससे होने वाली आय को जन हित में संस्था के व अन्य चैरिटेबल कार्यो में व्यय करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 137356

01 OCT 2015

18. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण भारत में अथवा अन्य देशों में स्थित सरकारी व गैर सरकारी किसी भी अन्य संस्था से , फर्म से कम्पनी से , बोर्ड से , संगठन से , समुदाय से , आयोग से , सोसायटी से, क्लब से या व्यक्ति से किसी भी प्रकार की साझेदारी करना, एग्रीमेंन्ट करना या किसी भी प्रकार व्यवस्था करके तालमेल रखना और जन कल्याण कार्यक्रमों को चलाना।

19. जाति, धर्म , भाषा आदि के आधार पर उत्पन्न द्वेश , वैमनस्य की भावना को दूर करके का प्रयास करना व राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम, ग्राम्य विकास व जनकल्याण की भावना को बढाना व प्रचार करना।

20. संस्था के सहयोग से ग्रामीण समाज में लोगों की सोच को बदलने का प्रयास करना व सामाजिक कार्यो में उनकी भागीदारी बढाना। समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढाने में सहयोग करना।

21. समाज में जाति , भेद भाव , महिलाओं से भेदभाव, जमीदारी, सूदखोरी बाल विवाह, दहेज शोषण, नशाखोरी, प्रदूषण, बच्चों व युवाओ में बढते अपराध की समस्यओं के प्रति जागरूकता लाना। उक्त उद्देश्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रमों , रंगमंचों , नाटकों की सहायता लेना व सरकार के साथ मिलजुल कर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम चलाना।

22. जरूरतमंद लोंगों की आधारभूति जरूरतों जैसे स्वच्छ जल–पानी की सहज उपलब्धता कराना व आपूर्ति के प्रयासों में सहायता प्रदान करना व प्याऊ लगाना।

23. प्राकृतिक आपदाओ जैसे सूखा, अकाल, बाढ, भूकम्प, भूस्खलन, राहत, कार्यों में बढा–चढाकर हिस्सा लेना व उनको करना।

24 रू ट्रस्ट बैंक से व अन्य श्रोतों से चंदा , ऋण , अनुदान एवं उपहार प्राप्त करेगी । ऋण लेने पर उसके पक्ष में अपनी सम्पत्ति को बन्धक भी करेगी।

25 ट्रस्ट अपनी सम्पत्ति के बारे में हाईपोथिकेशन डीड या मोरगेज डीड या इसी प्रकार के अन्य कोई दस्तावेज जो निधि की सुरक्षा के लिये आवस्यक माने गये है, निष्पादित कर ऋण प्राप्त करेगी।

26 ट्रस्ट के उद्देशों की पूर्ति के लिये कोई भी व्यापारिक गति विधि करना। परन्तु उससे होने वाली आय केवल ट्रस्ट के उद्देशों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगी।

27 ट्रस्ट के लिये किसी भी प्रकार का वाहन क्रय–विक्रय करना ताकि ट्रस्ट के कार्य सुचारू रूप से चलाये जा सके तथा ट्रस्ट के उद्देशों की पूर्ति के लिये व्यावसायिक वाहन खरीदना व उनका व्यवसायिक प्रयोग करना और उससे होने वाली आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

मैं पुष्पेन्द्र सिंह सी. पी. एस. फाउण्डेशन ट्रस्ट का संस्थापक व आजीवन प्रबन्धक ट्रस्टी इस ट्रस्ट के लिये निम्न नियम गठित करता हैं जिनका सभी को पालन करना अनिवार्य होगाः–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 138071

उप निबन्धक ... कु.जै. ...

1 उक्त सी. पी. एस. फाउण्डेशन ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के लिये पूरे भारतवर्ष में कार्य करेगा। मैं इस ट्रस्ट का संस्थापक हूँ और मैं ही इस ट्रस्ट का जीवन पर्यान्त प्रबन्धक ट्रस्टी रहूगा। आज दिनांक 20 अक्टूबर को मेरे दवारा दान स्वरूप दी गई प्रारम्भिक राशि रूपये 21000/–मुबलिक इक्कीस हजार मात्र इस नव निर्मित ट्रस्ट की सम्पत्ति हुई । इस धनराशि पर आज से मेरा व मेरे वारिसानों का कोई अधिकार न रहा । यह धनराशि व इससे अर्जित अन्य धनराशि या सम्पत्ति एक मात्र ट्रस्ट में ही निहित होगी । मेरे दवारा दान स्वरूप दी गई यह प्रारभिक राशि रूपये 21000/–मुबलिग इक्कीस हजार मात्र नव निर्मित ट्रस्ट का मूल धन है , जो किसी भी दशा में व्यय या समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

2 इस ट्रस्ट की समस्त धन राशि व सम्पत्ति या उससे उपार्जित अन्य धनराशि व सम्पत्ति का प्रयोग केवल ट्रस्ट के कार्यो व उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही होगा । अन्य दूसरे कार्यों व उद्देश्यो के लिये प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा।

3 कोई दान अनुदान , श्रण या चंदा ट्रस्ट को प्राप्त होता है तो वह केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों में ही लगाया या व्यय किया जायेगा।

4. ट्रस्ट में आवश्यकतानुसार किसी को भी और कितने भी विशेषज्ञ , सलाहकार, कर्मचारियों ,अधिकारियों , अकाउटेंन्ट , मुनीम , लेखापाल , चपरासी , या अन्य किसी भी प्रकार का स्टॉफ नियुक्त करने , उनका पारश्रमिक तय करने , उनके सेवा नियम बनाने व उन्हें निकालने का पूरा अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा।

5 मेरी मृत्यु के बाद इस न्यास की मैनेजिंग ट्रस्टी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी ही होगी। यदि वो इस पद के लिये असमर्थता व्यक्त करती है या शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो मैनेजिंग ट्रस्टी मेरा बडा पुत्र अनुराग यादव होगा। यदि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी मेनेजिंग ट्रस्टी बनती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है तो मैनेजिग ट्रस्टी का पद मेरे बडे पुत्र अनुराग यादव को दिया जायेगा। यदि यह पद स्वीकार नहीं करता है तो यह पद सभी ट्रस्टीयों के बहुमत से निर्धारित होगी ।

6 यदि भविष्य में कभी दुर्भाग्यवश मैनेजिंग ट्रस्टी गेरा बडा पुत्र अनुराग यादव जीवित नहीं रहता है तो उसके उपरान्त यह पद सभी ट्रस्टियों के बहुमत से निर्धारित होगा।

7 ट्रस्ट की कार्यकारिणी समितिः– ट्रस्ट की कार्य कारिणी समीति के सदस्य ट्रस्ट के पदाधिकारी अर्थात केवल ट्रस्टी ही होंगे । केवल उन्हें ही निर्णय लेने का अधिकार होगा । यदि वे चाहें तो ट्रस्ट के संचालन में सुविधा या सहायता के लिये किसी आजीवन सदस्य को भी कार्यकारिणी समिति गें ले सकते है पर ऐसे सदस्यों को किसी निर्णय में वोट देने का अधिकार न होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 138072

8 सभी ट्रस्टी सर्वसम्मति में से किसी एक ट्रस्टी को अपना अध्यक्ष/सभापति या सभाध्यक्ष मनोनीत कर सकते है जो सभी बेठको की अध्यक्षता करेगा , ट्रस्ट की ओर से भिन्न भिन्न अधिकारियों व लोगों से ट्रस्ट के कार्यो हेतु मिलेगा और ट्रस्ट के पत्राचार करेगा। अध्यक्ष के अभाव में या अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्य मेनेजिंग ट्रस्टी दवारा किये जायेंगे।

9 ट्रस्ट की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च होगा। न्यासी धन प्राप्ति ,भुगतान की रसीदें और अन्य सभी लेखा जोखा के सच्चे और सही रिकार्ड रखेंगे। आय–खर्च और ट्रस्ट के अन्य लेन देन के खाते की पुस्तके विश्वास योग्य लेखा परीक्षक या एक चार्टर्ड अकाउटेंट दवारा हर वर्ष परीक्षित कराये जायेंगें।

10 ट्रस्ट के सभी वित्तीय, प्रशासनिक व सभी दस्तावेजों को सम्भालने, भली भॉति रखने व ठीक बनाये रखने का पूरा दायत्व मैंनेजिग ट्रस्टी का होगा।

11 साधारणतह ट्रस्ट के सभी कार्य बहुमत के आधार पर तय होगें यदि कभी मत बराबरी हुई तो प्रबंधक ट्रस्टी को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

12 **बैंक खाताः–** ट्रस्ट का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त एक या एक से अधिक बैंको अथवा डाकघरों में ट्रस्ट के नाम से जमा होगा । बोर्ड का एक संकल्प(Board Resolution) दवारा किसी प्रकार के बैंक खातों या सावधि जमा को किसी भी बैंक या बैंको या डाकघरों में खोल सकते है ।

13 बैंक खातों का संचालन प्रबन्ध न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किसी अन्य न्यासी जिसे न्यासी बोर्ड की बैठक में पारित किये गये एक संकल्प दवारा अधिकृत किया गया हो के संयुक्त हस्ताक्षरों दवारा किया जायेगा।

14 नये ट्रस्टीयेां की नियुक्ति :– मुझ प्रबन्ध नियासी को अपने जीवनकाल में किसी को भी इस ट्रस्ट का न्यासी बनाने का अधिकार होगा। मेरी मृत्यु के बाद ऐसा निर्णय उस समय के ट्रस्टीयों के 100: बहुमत से ही लिया जा सकता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी या वंश–कम के अनुसार ट्रस्टी निम्न प्रकार बनते रहेंगे।

a) मेरे बडे पुत्र के जीवित न रहने पर मेरे सभी पौत्र अथार्त उसके सभी पुत्र न्यासी होगें और मेरे पौत्रों अर्थात मेरे पडपौत्रों को न्यासी माना जायेगा और उनके भी जीवित न रहने की दशा में उनके पुत्र गण न्यासी होगें । इस प्रकार उत्तराधिकारी या वंश– कम के अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी ही ट्रस्टी होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BE 138073

b) यदि मेरे बडे पुत्र के कोई पुत्र सन्तान न हो और केवल पुत्री ही हो तो उस दशा में उसके उसकी पुत्री को न्यासी माना जाये और उसकी पुत्री के बाद उनकी सन्तान व पति को ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने का अधिकार न होगा।

c) मेरे छोटे पुत्र के जीवित न रहने पर मेरे सभी पौत्र अर्थात उसके सभी पुत्र न्यासी होंगे और मेरे पौत्रों अर्थात छोटे पुत्र के पुत्रों के जीवित न रहने की दशा में उनके पुत्रों को अर्थात मेरे पडपोंत्रों को न्यासी माना जायेगा और उनके भी जीवित न रहने की दशा में उनके पुत्रगण न्यासी होगें। इस प्रकार उत्तराधिकारी या वंश– कम के अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी ही ट्रस्टी होंगें।

d) यदि मेरे छोटे पुत्र के कोई सन्तान न हो और केवल पुत्री ही हो तो उस दशा में उसके बाद उसकी पुत्री को न्यासी माना जाये और उसकी पुत्री के बाद उनकी सन्तानों व पति को ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने का अधिकार न होगा।

e) मेरी पुत्री के जीवित न रहने की दशा में उनके स्थान पर मेरा एक धेवता अर्थात उसका बडा या छोटा कोई भी एक पुत्र न्यासी होगा पर उसके बाद उसके अर्थात मेरे धेवते के पुत्र या पुत्रीयों को ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने का अधिकार न होगा।

f) ट्रस्टी के निष्कासन या हटाने का नियमः– सभी ट्रस्टी न्यास में आजीवन होगें पर निम्न परिस्थितियों में उनका निष्कासन किया जा सकता है।
- ट्रस्टी दवारा त्याग पत्र देने पर।
- शारीरिक या मानसिक रूप से अपंगता होने पर या अछम होने पर पागल होना आदि जिसकी वजह से ट्रस्ट संचालन के कार्यों में बाधा हो या असम्भव हो ।
- ट्रस्ट में जालसाजी या भ्रस्टाचार करने पर ।
- ट्रस्ट के कार्य कालों या मीटिंग में गाली देने ,दुराचार करने या बुरा व्यवहार करने पर।
- नैतिक अधमता, नैतिक पतन का आचरण होने पर।

g) **बैठकें:–** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की वर्ष गें कम से कम तीन बैंठकें होना आवश्यक है जिसमें कोरम 50: होना आवश्यक है। बैंठक की सूचना देने का

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 138074

माध्युम पत्र , फोन, फैक्स या ई. मेल पर्याप्त होगा। विशेष परिस्थितियों मे बुलायी गई बैठको के लिये 24 घण्टे पूर्व दी गई सूचना पर्याप्त होगी।

h) **कानूनी कार्यवाही:**— ट्रस्ट की समस्त कानूनी कार्यवाही संस्था के मेनेजिंग ट्रस्टी के नाम से होगी।

i) **ट्रस्ट की सदस्यता:**— ऐसे आम नागरिक जो अच्छे विचार व नैतिक आचरण वाले हो और समाज सेवी व धार्मिक भाव रखते हो , जो ट्रस्ट की विचारधारा के समान विचारधारा रखते हो और जन कल्याण के कार्यों में रूचि रखते हो को ट्रस्ट की सदस्यता दी जा सकती है। परन्तु ऐसे सदस्यों को ट्रस्ट के कार्यों में दखल देने , निर्णय लेने या वोट देने का अधिकार न होगा उन्हें कभी भी सदस्यता से बिना कारण बताये हटाया जा सकता है। ट्रस्ट की सदस्यता के निम्न प्रकार व नियम होगें।

a) **साधारण सदस्य:**— कोई भी स्त्री पुरूष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो , नैतिक आचरण वाला हो , दिवालिया न हो, पागल न हो ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो , वह ट्रस्ट में 11000/—वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने एवं वर्तमान संस्थापक तथा आजीवन ट्रस्टीयों के बहुमत द्वारा अनुमोदन होने पर संस्था का साधारण सदस्य बन सकता है। परन्तु साधारण सदस्य को ट्रस्ट के कामकाज व मीटिंगों में दखल देने व कोई निर्णय लेने का कोई अधिकार न होगा। वह केवल समाज सेवा हुतु तन, मन और धन से ट्रस्ट में अपना योगदान देंगें। ट्रस्टीयों को अधिकार होगा कि वो जब चाहे बिना कोई कारण बताये उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते है । साधारण सदस्य ट्रस्ट की केवल सामान्य मीटिगों में ट्रस्टीयें की अनुमति से ही बैंठ सकेंगे।

b) **आजीवन सदस्य:**— कोई भी स्त्री पुरूष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो , नैतिक आचरण वाला हो , दिवालिया न हो , पागल न हो ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह रू 51000/—अधिक एकमुस्त दान में देकर संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है जिसे आवेदन पत्र जमा कराने पर एवं वर्तमान संस्थापक तथा आजीवन ट्रस्टीयों के बहुमत द्वारा अनुमोदन होने पर संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है । परन्तु आजीवन सदस्य को ट्रस्ट के काम काज व मीटिंगों में दखल देने व कोई निर्णय लेने का कोई अधिकार न होगा। वह केवल समाज सेवा हेतु तन, मन और धन से ट्रस्ट में सहायता देने व अपनी सलाह देने में अपना योगदान देंगे। ट्रस्टीयों को अधिकार होगा कि वो जब चाहें बिना कारण बताये उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते है। आजीवन सदस्य ट्रस्ट की सामान्य व बोर्ड मीटिंगों में ट्रस्टीयों की अनुमति से बैठ सकेंगे परन्तु उन्हें बैठको में कोई दखल व वोट देने का कोई अधिकार न होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 138075

c) **मनोनीत सदस्यः—** कोई भी स्त्री पुरूष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो , नैतिक आचरण वाला हो , दिवालिया न हो , पागल न हो ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा ट्रस्ट के हित में उसकी विशेष आवश्यकता महसूश हो तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एक निश्चित अवधि के लिये अपने बहुमत से मनोनीत कर सकती है। ऐसे सदस्यों को किसी प्रकार का कोई अधिकार न होगा और उन्हें कभी भी सदस्यता से हटाया जा सकता है।

d) **<u>ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं अन्य लक्ष्यों व गतिविधियों के कियान्वत हुतु भिन्न—भिन्न समितियों अर्थात कमेंटियों का गठन या परामर्शदाताओं की नियुक्तिः—</u>** ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं अन्य लक्ष्यों व गतिविधियों के कियान्विन हेतु भिन्न—भिन्न और परामर्शदाताओं की नियुक्ति और समितियों या उपसमीतियों अर्थात भिन्न—भिन्न कमेटियों का गठन ट्रस्टीयों द्वारा किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत मनोनीत , सामान्य व आजीवन सदस्यों में से तीन या पॉच सदस्यों के एक समूह /गुट/ टोली/ जत्था अर्थात ग्रुप को समीति या उपसमीतियों के रू॰ में नियुक्त किया जा सकता है जिसका अध्यक्ष या प्रधान या मुखिया उन्हीं सदस्यों में से ही होगा ; उदाहरण स्वरूप अनुसंधान और अनुसंशा समिति, परियोजना प्रबन्धन समिति , प्रचार व प्रसार समिति , आचार समिति, योजना समिति , समन्वय समिति , वित्त समिति आदि आवश्यकतानुसार कई प्रकार की समितियों का गठन किया जा सकता है द्ध इस प्रकार की कमेटी या समिति दिये गये परियोजना पर पूरा अध्ययन करेगी और उस दिये गये कार्य / प्रोजेक्ट या परियोजना का पूरा कार्य करेगी या किसी भी प्रकार से करवाकर उसका कियान्वण सुनिश्चित करेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 138076

<u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को या मेनेजिंग ट्रस्टी को किसी भी समिति उपसमिति या कमेटी को कभी भी भंग करके रदद करने का या उनके किसी भी निर्णय को वीटो करने या/ रदद करने का पूरा अधिकार होगा।</u>

J-चूँकि ज्यादातर ट्रस्टी अवागढ में रह रहे है इस लिये ट्रस्ट के संचालन की सुविधा के लिये ट्रस्ट का प्रशासनिक कार्यालय 8/78 मौहल्ला– तिवारियान, अवागढ, एटा में रखा जायेगा।

K-प्रशासनिक कार्यालय सुविधा अनुसार भारत में कहीं और भी बदला जा सकेगा जिसके लिये सभी ट्रस्टीयों का बहुमत से निर्णय जरूरी होगा।

L- ट्रस्ट का समापनः– यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ट्रस्ट का समापन करना करना पडे तो ट्रस्ट के समापन की स्थिति में ऋण आदि के निपटने के पश्चात इसकी जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी नियमानुसार वह समान उद्देश्य रखने वाली किसी दुसरी संख्या को हस्तान्तरित की जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 138077

मैं पुष्पेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट का संस्थापक हूँ घोषणा करता हूँ कि मैंने इस ट्रस्टडीड या ट्रस्टनामा शुध्द व सही दिमागी हालत में अपने पूरे होशोहवास में अपनी पूरी मर्जी से बिना दबाब के तैयार किया है व इस पर मैंने गवाहों के सागने हस्ताक्षर किये हैं ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे । मैंने कोई बात नहीं छुपाई है , ईश्वर मेरे इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करे और सफलता प्रदान करे ।

दिनांकः– 20 अक्टूबर 2015

हस्ताक्षर
संस्थापक व प्रबंन्धक ट्रस्टी
सी. पी. एस. फाउण्डेशन ट्रस्ट

गवाहः–

1. देवेन्द्र सिंह स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर, एटा।

2. सुबोध कुमार जैन एडवोकेट,
तहसील कोर्ट जलेसर, एटा।

ड्राफ्टकर्ता– प्रबन्धक ट्रस्टी पुष्पेन्द्र सिंह
पुत्र स्व0 श्री सियाराम सिंह
निवासी नगला खेड़ा उड़ेसर जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

546
16-10-15

337

रजिस्टर्ड बही सं० I जिल्द संख्या 3495 के
पृष्ठ सं० 243/264 क्रमांक 6141 पर
आज दिनांक 20.10.015 को पंजीकृत किया गया।

उप-निबन्धक
[illegible]